रजिस्ट्री सं० डी० (डी०एन०)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 1983/ज्येष्ठ 30, 1905
No. 268] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 1983/JYAISTHA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 जून, 1983

का०आ० 439(अ)—केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट लैटराइट खानों में उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, पुनरीक्षित करने के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव बनाये हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जा रहे है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख, से दो मास के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व उक्त प्रस्तावों की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	संदत्त मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, कर्मकार, खलासी, लदाई करने वाला, उतराई करने वाला, उत्खनन श्रमिक, खनैजा, झाड़ूवाला, बेलदार, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
सहायक ड्रिलर, मार्गी, खनक मेट (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण-पत्र के बिना)।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए)
मुकद्दम, (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण-पत्र के बिना) हैड चौकीदार, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिये)

350 GI/83

पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

बिरन सिंह (नाम)
ग्राम बरहई गांव
डाकघर—पारखोवा
कर्बी आलंग जिला (पता)

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान—डिफू
तारीख 22-2-83

ह./-
रिटर्निंग आफिसर
3. स्वशासी जिला (अ.ज.जा.)
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।''

[फा. सं. 13/1/83-वि. 2]

ह. वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1983

S.O. 461(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information.—

DECLARATION

Election to the House of the People from the 3-Autonomous District (S.T.) Parliamentary Constituency in Assam

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with the rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Biren Singh Engti, (Name)

Vill. —Barhol Gaon, P.O. Parakhowa Karbi Anglong Distt. (Address) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Diphu

Date : 22-2-83.

Sd/

Returning Officer,
3-Autonomous District (S.T.)
Parliamentary Constituency."

[F. No. 13(1)/83-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983